बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010–2237

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 06.11.2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2013 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को ₹ 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु कुल ₹ 35,00,00,000/– (रूपये पैंतीस करोड़) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2013 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को ₹ 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–28 दिनांक–04.11.2013 एवं आवंटनादेश संख्या–29 दिनांक– 04.11.2013 द्वारा कुल ₹ 35,00,00,000/– (रूपये पैंतीस करोड़) मात्र स्वीकृत/आवंटित किया गया है।

उक्त स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की प्रति सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को ई–मेल/फैक्स/विभागीय वेबसाईट से प्रेषित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश के साथ संलग्न स्वीकृत/आवंटित राशि की जिलावार विवरणी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। अतएव तत्काल इस मद में किसी प्रकार से राशि की निकासी नहीं की जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश के आलोक में सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृत/आवंटित राशि की जिलावार विवरणी के आधार पर हीं राशि की निकासी की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 6/11/013

सरकार के उप सचिव।